© Beate Frenzel, Gülşah Mavruk (2018)

हाल ही में आने वाले अप्रवासी विद्यार्थियों के शुरुआती साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार से जुड़े दिशानिर्देश

प्रश्नावली से जुड़ी जानकारी

(Hindi – Übersetzung durch externen Anbieter)

मौजूदा प्रश्नावली को खासतौर पर एक दूसरे को समझने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें दाखिला लेने आए अप्रवासी बच्चों, नौजवानों (जर्मनी के स्कूल में प्रवेश करने से पहले) और साक्षात्कार लेने वाले अध्यापकों के बीच चर्चा करवाने से जुड़ी मूल जानकारी दी गई है।

दाखिले के लिए इस तरह के साक्षात्कार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, यहाँ बच्चों के बारे में जानकारी ली जाती है। उन्हें स्कूल के परिवेश के बारे में बताया जाता है या फिर उन्हें समूह में बाँटकर मूलभूत शिक्षा दी जाती है। इस शुरुआती साक्षात्कार में स्कूल से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस साक्षात्कार में परिवार, फ़्लाइट और घर के बारे में चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि इन सवालों से विद्यार्थियों की पुरानी बुरी यादें ताज़ा हो सकती हैं और वे परेशान हो सकते हैं। साथ ही सब्सिडी पाने से जुड़े वित्तीय मामले या बीयूटी के कामों (व्यावसायिक आवेदन और जॉबसेंटर के लिए हिस्सेदारी से जुड़ी कार्रवाई) के लिए आवेदन से जुड़े मामलों का समाधान सिर्फ़ तभी किया जाना चाहिए, जब अध्यापकों, विद्यार्थियों, माता-पिता, अभिभावकों या बच्चों की देखरेख करने वाले सुपरवाइज़र साथ ही साथ स्कूल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास की भावना बढ़े और अच्छे संबंध बन जाएँ।

विद्यार्थियों की उम्र और भाषा कौशल को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से भी प्रश्नावली तैयार की जानी चाहिए। सभी बच्चों या नौजवानों के लिए एक ही तरह के सवाल तैयार करने सही नहीं है। प्रश्नावली तैयार करने का काम अध्यापकों को खुद करना चाहिए।

प्रश्नावली में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन के लिए ज़रूरी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह विद्यार्थियों किस भाषा में बात करते हैं, इस बारे में अलग से लिखित जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन III (मूल देश की भाषा) में विद्यार्थियों की बोलचाल की भाषा के बार में जानकारी इकट्ठा की जाती है। यहाँ सभी अलग-अलग कौशलों (बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना) पर अच्छे से विचार किया जाता है।

यहाँ प्रश्नावली तैयार करने के साथ-साथ हाल ही में आए अलग-अलग भाषा बोलने वाले अप्रवासी विद्यार्थियों या नौजवानों के स्कूल और व्यवसाय से जुड़े अनुभवों और उनकी रुचि और प्रतिभा के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस तरह से इन विद्यार्थियों के भाषा से जुड़े मौजूदा ज्ञान साथ ही साथ प्रभावित विद्यार्थियों की प्रेरणा और उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के अलग-अलग समूह बनाकर उनके लिए असाइनमेंट तैयार किए जाते हैं।

इन अप्रवासी विद्यार्थियों के लिए इनके मूल देश की ओर से एक प्रमाणपत्र दिया जाता है, जिससे इनकी मूल शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के स्तर का पता चलता है। इस प्रमाणपत्र की जाँच करने की ज़िम्मेदारी कोलोन जिला सरकार की होती है।

(http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugnisse/index.html) दूसरी तरफ़ डुसेलडॉर्फ़ जिला सरकार सामान्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए योग्यता की ज़रूरी शर्तों की जाँच करती है।

(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html)

इन अप्रवासी विद्यार्थियों के लिए साहित्य की किताबों और स्कूल की दूसरी ज़रूरी किताबों की पूरी सूची ProDaZ वेबसाइट https://www.uni-due.de/prodaz/ पर उपलब्ध है।